महत्वपूर्ण / शीर्ष वरीयता / स्मरण पत्र
संख्याः 4960-79 / 23(1)—नौं / 2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा दिनांक 17 अक्टूबर, 2013

विषय :— **उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली—2013 के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या / 4591—4612 / 21(1)—नौं / 2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के कम में आपके द्वारा उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली—2013 के अन्तर्गत किये गये शिक्षकों के अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरणों का विवरण उपलब्ध कराया गया जो निम्न प्रकार से है :—

मण्डल का नाम	X- क्षेत्र से Y- क्षेत्र			Y- क्षेत्र से X- क्षेत्र			कुल स्थानान्तरण		
	कुल स्थानान्तरण	कार्यभार मुक्त	कार्यभार ग्रहण	कुल स्थानान्तरण	कार्यभार मुक्त	कार्यभार ग्रहण	कुल स्थानान्तरण	कार्यभार मुक्त	कार्यभार ग्रहण
गढ़वाल मण्डल	369	296	148	210	209	192	579	505	340
कुमायूं मण्डल	276	227	135	95	77	63	371	304	198
योग	**645**	**523**	**283**	**305**	**286**	**255**	**950**	**809**	**538**

उक्त कुल 950 स्थानान्तरित शिक्षकों के सापेक्ष मात्र 809 शिक्षक ही कार्यमुक्त हुये है, जबकि इनके सापेक्ष मात्र 538 शिक्षकों द्वारा ही कार्यभार ग्रहण किया गया है। आप द्वारा उपलब्ध कराई गये सूचनानुसार 141 शिक्षक अद्यतन कार्यमुक्त नहीं हुये हैं, जबकि 271 शिक्षक ऐसे हैं, जिनके द्वारा कार्यभार मुक्त होने के पश्चात भी अद्यतन कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण नियमावली—2013 के प्रस्तर—28 में स्थानान्तरित किये जाने वाले अध्यापकों को आदेश निर्गत होने की तारीख के सात दिन के अन्दर कार्यमुक्त हो कर नवीन तैनाती स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उन्हें एक तरफा कार्यभार मुक्त कर दिया जायेगा तथा पूर्व तैनाती स्थल से वेतन कदापि आहरित नहीं किया जायेगा का प्रावधान है। इस प्रावधान के बावजूद भी कतिपय शिक्षक अद्यतन अपने स्थानान्तरित विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त नहीं हुये है तथा कई शिक्षकों द्वारा कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अनिवार्य स्थानान्तरण के सापेक्ष जिन शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है, वे निर्धारित समयान्तर्गत अपने मूल तैनाती स्थल से कार्यमुक्त क्यों नहीं हुये तथा जो शिक्षक कार्यमुक्त हो चुके हैं, उनके द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में अद्यतन कार्यभार ग्रहण क्यों नहीं किया गया है। स्थानान्तरित शिक्षक आज की तिथि में कहां पर बने हुये हैं, का पूर्व विवरण (शिक्षक का नाम पद नाम, पूर्व कार्यरत विद्यालय व स्थानान्तरित विद्यालय सहित) तैयार करें। जो शिक्षक अद्यतन कार्यभार मुक्त नहीं हुये, उनके व सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्थानान्तरित शिक्षक का स्थानान्तरण के उपरान्त पूर्व तैनाती स्थल से वेतन आहरित हुआ है अथवा नहीं।

उक्त कार्यवाही तत्काल अमल में लाई जाय व एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाय।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं. : 4760-77/23(1)–नौं/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा. शिक्षा मंत्री जी को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड